न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
03/18	FSSA	04.07.2018	27.04.2022

1. राजेश कुमार रामचन्दानी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर वर्तमान पदस्थापन कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, बांरा।

–आवेदक–

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री बिशन लाल मीना (दुध विक्रेता) नमूना स्थान बालाजी चौक गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर, स्थाई पता ग्राम सेगनपुरा बडा पोस्ट सेगनपुरा बडा तह0 करौली थाना करौली जिला करौली।

–अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक:27.04.2022

उक्त न्याय निर्णय आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचंदानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) अन्तर्गत एफएसएस एक्ट की धारा 26 की उपधारा (ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 17.06.2014 को समय 11:15 ए.एम पर जिला सवाई माधोपुर में बालाजी चौक गंगापुर सिटी पहुँचा। वहाँ पर श्री श्री राम प्रसाद पुत्र श्री बिशन लाल मीणा (दुध विक्रेता) साईकिल पर पीतल की चरी मे मिश्रित दुध अग्रवाल मिष्ठान भण्डार को बेच रहे थे दुध विक्रेता से मौके पर खाद्य अनुज्ञा– पत्र चाहा गया। श्री राम प्रसाद ने खाद्य रजिस्ट्रेशन नही होना बताया। इनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया तो खाद्य पदार्थ मिश्रित दुध निम्न स्तर व मिलावटी होने का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर नमूना वास्ते जांच हेतु प्राप्ति रसीद ली। फार्म। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य वस्तु मिश्रित दुध 2 ली0 वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री राम प्रसाद को रू0 60/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहान श्री प्रीतम चन्द व नरेश चेंजारा के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिश्रित दुध 2 ली0 को समरूप करके चार साफ, सुखी व खाली सकडे मुँह की प्रत्येक कॉच की शीशीयों में 500 मिली. डाला तथा प्रत्येक नमूना भाग में प्रेजरवेटीव फॉरमिलिन की 40 बूंद डालकर चारो शीशियों को ढक्कन लगाकर एअर टाइट कर प्रत्येक शीशी को अच्छी तरह बंद किया तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक कांच की शीशी पर एक-एक लेबल चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. सवाईमाधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच-499 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार कराकर नमूने का पूर्ण विवरण रखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे विक्रेता राम प्रसाद ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना लिया गया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में काना राम मीना द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर फार्म नं0 6 की पुष्टि पर रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2014/242 दिनांक 04.07.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु मिश्रित दुध अवमानक प्रकृति का पाया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान बावत् श्री रामप्रसाद पुत्र श्री बिशन लाल मीना (दुध विक्रेता) स्थाई पता ग्राम सेगनपुरा बडा पोस्ट सेगनपुरा बडा तह0 करौली थाना करौली जिला करौली खाद्य कारोबार कर्ता को पत्र भिजवाकर खाद्य रजि0 की सूचना चाही गई। किन्तु राम प्रसाद मीना ने पत्रों का प्रतिउत्तर नही दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में दस्तावेज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/14/1625 दिनांक 02.09.2014 की पालना में जमा कराये गये। कार्यालय श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2015/1616 दिनांक 25.05.2015 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसए/2014/242 दिनांक 04.07.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु मिश्रित दुध अवमानक प्रकृति **(Sub-Standard)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 23 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री भानु कुमार सिंघल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया है।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुऐ जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त द्वारा पेश किए गये जबाब मे उसने बताया है कि वह ग्रामीण परिवेश का व्यावित्त है तथा दूध विक्रय का कार्य नही करता है। वह दिनांक 17.06.2014 को अपने आवश्यक कार्य से गंगापुर सिटी आया था एवं अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, गंगापुर सिटी पर था तभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गवाह के तौर पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा लिए। प्रार्थी का इससे कोई लेना–देना नही है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाने का कष्ट करें।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री भानु कुमार सिंहल ने जबाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एकपक्षीय बहस की तथा निवेदन किया कि अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप अथवा न्यूनतम शास्ति अधिरोपित करने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिसमें संलग्न STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक FSSL/KOTA/2014/242 दिनांक 04.07.2014 का भी अवलोकन किया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

Opinion- "The sample of Mixed Milk bearing Code No. H-499 does not conform to the prescribed Quality Standard Under FSS Act 2006 Rules & Regulations 2011, Hence it is declared SUB-STANDARD."

FOOD ANALYSED की रिपोर्ट के मुताबिक दूध सेम्पल Sr. No. H-499 अवमानक (**Sub-Standard**) प्रकृति का पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा अवमानक(**Sub-Standard**) प्रकृति की खाद्य वस्तु का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। साथ ही अभियुक्त द्वारा जबाब मे अंकित कथनो के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किए है। लेकिन अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतीत होता है। साथ ही उसके द्वारा यह कार्य प्रथम बार करना प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त के द्वारा की गई अनियमितता के लिए अभियुक्त पर 5,000/– रूपये (अक्षरे–पाँच हजार रूपये मात्र) आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त को चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य मे इस प्रकार के कार्य का दोहरान न करें। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा वाद गुजरने मियाद नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)